न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2025/211

अपील संख्या 131/2025 तारीख रजू 16.12.2025

1. पॉचू लाल पुत्र गंगाधर जाति माली निवासीयान ग्राम पीपलदा वर्तमान तहसील मित्रपुरा विगत तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

......अपीलान्ट

बनाम

1. भागचन्द पुत्र चौथमल माली निवासी ग्राम पीपलदा वर्तमान तहसील मित्रपुरा विगत तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर
2. मुनीराज पुत्र चौथमल माली निवासी ग्राम पीपलदा वर्तमान तहसील मित्रपुरा विगत तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार वर्तमान तहसील मित्रपुरा विगत तहसील बौंली।

.....रेस्पोडेन्ट्स

वकील अपीलान्ट –श्री श्याम सुन्दर गुप्ता
वकील रेस्पोडेन्टस 1 लगा. 2 –श्री मोईनुददीन शाह

निर्णय दिनांकः– **20.04.2026**

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत तहसीलदार मित्रपुरा के निर्णय/डिक्री दिनांक 22.11.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा तहसीलदार मित्रपुरा द्वारा धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत तकासमा का आदेश पारित किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 सं0 1 लगा0 2 की ओर से श्री मोईनुददीन शाह एडवोकेट तथा रेस्पो0 सं0 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय/डिक्री पारित करने से पूर्व पत्रावली पर विधिवत गौर नहीं किया और ना ही मौके पर पक्षकारान के कब्जे काश्त बाबत कोई जांच करवायी और ना ही प्रारंभिक डिक्री पारित की और ना ही तकासमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

स्कीम मंगवायी तथा बिना इस सब के निर्णय व डिक्री पारित फरमा दी जो कतई अवैध व अन्योचित है। कानूनन प्रीलीमरी डिक्री पारित करने के बाद फाईनल डिक्री पारित की जानी चाहिये थी। यह कि अपीलान्ट 90 वर्ष का वृद्ध एवं अनपढ व अंगूठा टेक व्यक्ति है जिसको रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 ने बहला फुसलाकर सहकारी सहायता दिलाने के बहाने तहसील में ले जाकर बंटवारे नामे फार्म पर अंगूठा करवाकर एवं उनमें अपनी इच्छा अनुसार आराजीयात का बंटवारा करने की सहमति व प्रार्थना पत्र दर्ज कर कागजात तहसील में पेश कर दिये तथा तहसील में ही पटवारी व आईएलआर रिपोर्ट करवा ली एवं पटवारी हल्का व आईएलआर की मिथ्या रिपोर्ट को ही उचित मानते हुए तकासमा स्वीकार कर विभाजन का निर्णय व डिक्री पारित फरमा दी जो कानूनन कतई गलत व अन्योचित है। यह कि यह विभाजन विधि व मौका स्थिति के विपरीत स्वीकार किया गया है एवं विभाजन संबंधी नियमों की कतई पालना नहीं की है। मौके पर पक्षकारान के कब्जे काश्त बाबत कोई जांच नहीं की जबकि पक्षकरान के मध्य अर्सा 50 वर्षों पूर्व से ही सहखातेदारी की समस्त आराजीयात का मौके पर पारिवारिक सहमति से मौखिक तकासमा हो रहा है तथा मौखिक तकासमें के अनुसार ही पक्षकारान अपने भाग पर काबिज होकर काश्त करते आये है जिसके अनुसार ख0 नम्बरान 2132 रकबा 0.47 है0 सम्पूर्ण व 2133 रकबा 0.23 है0 सम्पूर्ण एवं ख0नं0 2121/6335 रकबा 0.49 है0 में से 0.2650 है0 अपीलान्ट के हिस्से व कब्जे काश्त की होने से अपीलान्ट मौके पर काबिज होकर काश्त करता आया है तथा शेष आराजीयात ख0नं0 2131 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 2133/5972 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 2138/5853 रकबा 0.13 है0 तथा 2121/6365 मे से रकबा 0.36 है0 रेस्पोडेन्ट के हिस्से व कब्जे काश्त की होने से उन पर रेस्पोडेन्ट काबिज होकर काश्त करते आये हैं। इस बार अपीलान्ट ने अपनी भूमि ख0नं0 2132 व 2133 में चने की फसल काश्त की। यह कि इस प्रकार बंटवारे में अपीलान्ट के हिस्से व कब्जे की भूमि को ही अपीलान्ट को तकासमें में देनी चाहिये थी लेकिन उसे ना देकर के अन्य भूमि तकासमे में देकर अहम कानूनी भूल की है जिसके अनुसार तकासमें में अपीलान्ट को गलत व नाजायज रूप से 2132 व 2133 की सम्पूर्ण भूमि न देकर के खसरा नं0 2132 रकबा 0.47 है0 में मात्र 0.32 है0 भूमि ख0नं0 6800/2132 रकबा 0.32 है0 के रूप में एवं ख0नं0 2133 की सम्पूर्ण भूमि 0.23 के स्थान पर ख0नं0 6802/2133 के रूप में मात्र 0.16 है0 भूमि को ही बंटवारे में अपीलान्ट को देकर दर्ज किया है तथा इन आराजीयात की शेष भूमि को रेस्पोडेन्ट के हिस्से में देकर दर्ज कर दिया इसके अलावा विवादित भूमि ख0नं0 2121/6335 रकबा 0.49 है0 सम्पूर्ण ही अपीलान्ट के हिस्से में दर्ज कर दिया है जबकि इसमें से मात्र 0.2650 है0 भूमि ही वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की रही है तथा शेष भूमि रेस्पोडेन्ट के हिस्से व कब्जे काश्त रही है। इस प्रकार बंटवारा संबंधित नियमों की पालना नहीं की गयी एवं जो भूमि अपीलान्ट के हिस्से व कब्जे में है उसे अपीलान्ट के हिस्से व कब्जे में ना देकर एवं रेस्पोडेन्ट के हिस्से व कब्जे में देकर अहम कानूनी भूल की है। यह कि पटवारी हल्का मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पर कोई जांच नहीं की तथा तहसील में बैठकर सम्पूर्ण कार्यवाही कर तकासमा व उसका इन्द्राज कर दिया। यह कि अपीलान्ट को तहसील में तकासमा की गयी समस्त कार्यवाही/लिखापढी एवं निर्णय की पूर्व में कतई जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 10.12.2025 को अपीलान्ट अपने पुत्र के साथ जमाबन्दी की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो उसने तहसील में पेश किये गये एवं फैसल किये गये तकासमें की जानकारी देते हुए कहा कि अब सम्पूर्ण आराजीयात पूर्व की तरह तुम सब के नाम सहखातेदारी में दर्ज ना होकर तकासमें के आधार पर पृथक–पृथक दर्ज कर दी गयी है तथा तकासमें के समस्त कागजात अभी तक मेरे पास में है मैने तहसील वापस जमा नहीं कराये है इस पर अपीलान्ट के कहने पर पटवारी हल्का ने तकासमा प्रार्थना पत्र एवं उनकी एवं आईएलआर की रिपोर्ट सहित तहसीलदार के निर्णय की प्रतिलिपियां एवं नामान्तकरण जमाबन्दी, नक्शे आदि की नकले अपीलान्ट को सुपुर्द की जिससे अपीलान्ट को उक्त बंटवारे व निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुयी इससे पूर्व अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट ने दिनांक 15.12.2025 को अपील तैयार करवाकर पेश करवायी है। अपीलान्ट को पूर्व में जानकारी नहीं होने के कारण ही अपीलान्ट निर्णय के विरूद्ध अपील पेश नहीं कर सका और ना ही तहसील में कोई कार्यवाही कर सका। देरी का यह एक बोनाफाईड कारण होकर माफ फरमाये जाने योग्य है। इस हेतु धारा भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद समाअत फरमायी जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमा कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री जैर अपील दिनांक 22.11.2021 को अपास्त फरमाने का निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्टान सं0 1 लगायत 2 द्वारा वकील अपीलान्ट्स द्वारा बहस में दिये गये तर्को का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि अपीलान्ट्स द्वारा तहसीलदार मित्रपुरा के निर्णय दिनांक 22.11.2021 की अपील चार वर्ष पश्चात् दिनांक 15.12.2025 को पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा पेश की गई अपील मियाद बाहर है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ पेश किये गये धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्य सही नहीं है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट को बहला फुसला कर बंटवारे नामे फार्म पर अंगूठा लगाकर अपनी इच्छा अनुसार आराजीयात का बंटवारा करने की सहमति का आरोप लगाया है। यदि उक्त आरोप सही है तो अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 के विरूद्ध धोखाधडी का कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया है? अन्त में वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा. 2 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत तहसीलदार मित्रपुरा के निर्णय/डिक्री दिनांक 22.11.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की जिसके द्वारा तहसीलदार मित्रपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

द्वारा धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत तकासमा का आदेश पारित किया गया है। प्रथमतः अपील के मियाद के बिन्दु पर विवेचन करने पर पाया जाता है कि अपीलान्ट स्वयं एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 तथा दो गवाहान ने तकासमा प्रार्थना पत्र पर दिनांक 22.11.21 को तहसीलदार मित्रपुरा के समक्ष हस्ताक्षर किये/अंगूठा लगाया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को बखूबी थी। इस प्रकार अपीलान्ट का धारा 5 प्रार्थना पत्र का कथन की अपीलान्ट को दिनांक 10.12.2025 से पूर्व उक्त तकासमे आदेश की जानकारी नहीं थी, मान्य नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा पेश की गई अपील मियाद बाहर होना प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को यदि लगता था कि उसके साथ रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 ने धोखाधडी से उसका तकासमा प्रार्थना पत्र पर अंगूठा लगवाया है तो उसने तकासमा आदेश पारित होने के बाद से रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध धोखाधडी का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? इससे इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उक्त तकासमा में अपीलान्ट की सहमति नहीं रही हो। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट चलने योग्य नहीं पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested